

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11641 / S8

दिनांक :- 24-01-2018

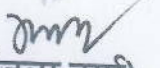
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [लिंक न. 11641] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), बारां - [1524] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 13/11/2017 से 19/11/2017 तक 7 दिवस

कुल 7 दिवस

उक्त कुल 7 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11641 / S8

दिनांक :- 24-01-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), बारां
2. कोषाधिकारी बारां
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [11641] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), बारां
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)